



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265588
CG-DL-E-21082025-265588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3713]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947

No. 3713]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 3817(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 किमी से 16.397 किमी के NH151A, 16.397 किमी से 24.632 किमी के (मालीया से पिपलीया) NH151A तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH151A तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	प्रांत अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग	गुजरात	मोरबी	मालिया	1 हरीपर

	हळवद	संख्या NH151A के कि.मी 0 से कि.मी 16.397 तक				2	काजरडा
						3	खीरय
						4	फतेपर
						5	रासंगपर
						6	सोनगढ
						7	नानी बरार
						8	मोटा भेला
						9	मोटी बरार
						10	जसापर
						11	नवागाम
						12	सरवड
						13	तरघरी
						14	दहिसरा नाना
						15	चांचावदरडा
						16	महेंद्रगढ
						17	माळीया
2	प्रान्त आफिसर मोरबी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH151A के कि.मी 16.397 से कि.मी 24.632 तक	गुजरात	मोरबी	मोरबी	1	पीपलीया
						2	मोडपर
						3	लुटावदर

[फा. सं. D-2163]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 3817(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 16.397 of the NH151A, Km. 16.397 to Km. 24.632 of the NH151A (Maliya to Pipaliya) for building (widening etc), maintenance, management and operation in the State of GUJARAT.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH151A in the State of GUJARAT.**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Prant officer Halvad	NH151A KM 0 TO KM 16.397	GUJARAT	MORBI	Maliya	1 Haripar
						2 Kajarda
						3 Khirai
						4 Fattepar
						5 Rasangpar
						6 Songadh
						7 Nani Barar
						8 Mota Bhela
						9 Moti Barar
						10 Jasapar
						11 Navagam
						12 Sarvad
						13 Targhari
						14 Dahisara Nana
						15 Chanchavadarda
						16 Mahendragadh
						17 Maliya
2	Prant officer Morbi	NH151A KM 16.397 TO KM 24.632	GUJARAT	MORBI	Morbi	1 Pipaliya
						2 Modpar
						3 Lutavadar

[F. No. . D-2163]

SHAIKH AMINKHAN, Director